[श्री शिव चन्द्र झा]

उपसभापति जी, मंत्री महोदय ने टी की मार्केटिंग, इनसाइड द कंट्री और बाहर बताया है। जो रिकमण्डेशंस टंडन कमेटी की हैं, कुछ रिकमंडेशंस मानी हैं कुछ नहीं मानी हैं, यह भी उन्होंने बताया है। लेकिन एक बात की सफायी नहीं हुई है कि टी की मार्केटिंग हिन्दुस्तान के बाहर क्यों कम हो गई है? श्रीलंका आगे आ गया है, दूसरे मुल्क आगे चले जा रहे हैं इस मामले में। अन्य बातों के अलावा मुख्य बात यह है कि खास कर जब से ब्रिटेन कामन मार्केट में चला गया, तो जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट पहले मिलता था वह प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट बन्द हो गया है, ब्रिटेन में भारत का टी एक्सपोर्ट कम हो गया है और वह सुविधा कम हो गई, इसके मुताल्लिक टंडन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कहा है या नहीं?

दूसरी बात, स्माल ग्रोअर्स के बारे में तो उन्होंने बताया है लेकिन क्या टंडन कमेटी ने यह भी बताया कि बड़े टी ग्रोअर्स और प्लान्टेशन ओनर्स का राष्ट्रीयकरण हो?

मैं इन दो बातों की सफायी चाहता हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the presumption of the hon. Member is not correct. We are having a leading position in tea exports. In one particular year our exports did not reach the target, but it is because of certain other reasons. It was because of certain domestic factors. For instance, one of the items was export duty. In regard to nationalisation, Sir, the Tandon Committee has not made recommendations because basically—and the hon. Member is aware that it was instituted during their time—they were not to look into the question of nationalisation but to suggest various aspects of promoting exports.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): But you can look into it now.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is a different issue. I am just now mentioning about the recommendations of the Tandon Committee. They have made certain recommendations about better marketability so that through that process small growers get their due share and make themselves economically viable. All such recommendations of the Committee have been accepted.

SHRI BHUPESH GUPTA: Foreign tea, to begin with, should be nationalised.

RE MOTIONS FOR ELECTION TO THE CARDAMOM BOARD AND RUBBER BOARD.

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, in regard to the Motion I would like to tell you and the House that we are not going to move the Motion for election. We can do it in the next session and that is why I am not moving this Motion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is it for both the Motions?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, Sir. Both for the Rubber Board and the Cardamom Board.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, before we take up other business....

STATUTORY RESOLUTION

Draft Ministers' (Allowances, Medical treatment and other Privileges Amendment Rules, 1980.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, I beg to move the following Resolution:—

"This House approves the draft Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1980 framed under sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and laid on the Table of the Rajya Sabha on 19-6-1980."

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Tell us something about it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, this is a very simple and formal Reso-

lution. I have brought this Revolution just to remove the anomaly created by the Third Pay Commission.

Sir, Ministers' salaries and allowances are governed by the Ministers' Salaries and Allowances Act of 1952 and rules made thereunder. According to rule 9(2) which reads like this....

SHRI BHUPESH GUPTA: Just read it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I quote rule 9(2):--

> "...and the travelling expenses and the allowance of incidentals for the time being admissible to a Central Government servant of the first grade on a journey on tour subject to the furnishing of details of the actual travelling expenses..."

Now, under this rule 9(2) the incidental charges on a journey by a Minister are linked with that of a grade one officer of the Central Government. The Third Pay Commission removed the incidental charges on tour by class one and other officers of the Central Government. Now because the words "incidental charges" are removed and replaced by the words "daily allowance" an anomaly is created as to whether a Minister is admissible to draw the incidental charges or the daily allowance. Now Sir, because of this confusion, some Ministers draw the incidental charges while others draw the daily allowance. Just to remove this anomaly and to remove difficulties, I have brought this Resolution in terms of section 11 of the Act, the Ministers' Salaries and Allowances Act which reads:

> "11(2) Every rule made under this Act after the commencement of the Salaries and Allowances of the Ministers (Amendment) Act, 1977 shall be laid before each House of Parliament and no such rule shall come into force until it has been approved, whether with or without modification, by each House of Parliament and published by the Central Government in the official Gazette."

So under rule 11(2), these rules are to be approved by both the Houses of Parliament and it should be published in the official Gazette. Now, Sir, the Lok Sabha has adopted this Resolution on the 5th of August, 1980 without any modification. I have brought this Resolution before this House for adopting it. There is no financial commitment. As I have calculated in respect of some of the journeys undertaken by the Ministers—and if the hon. Members of the august House want to know, if they are interested, I will give these examples—the Ministers will be getting less than what they were getting previously by way of incidental charges. I have calculated it in respect of some journeys. Take the case of the journey from Delhi to Madras. The distance is 2,192 kms. and the time taken for this journey is 2 days and 40 minutes. Now, Sir, according to....

SHRI BHUPESH GUPTA: Provided *the train runs on time.*

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The incidental charges admissible to the Grade I officers work out to Rs. 76.65. And the same is payable to the Ministers. Now, if they are entitled to draw the daily allowance, it will come out to Rs. 60 at the rate of Rs. 30 per day, because it is a two-day journey. So there will be a loss of Rs. 16.65 to Minister. It will be less by that amount. Then the distance for the journey between Delhi and Bombay is 1,388 kms. and the time taken for it is 24 hours, i.e. one day. If we calculate the incidental charges at the rate of 35 paise, it will come to Rs. 48.65 whereas the D.A. admissible to a Minister will be Rs. 30. So it is less by Rs. 18 65. In the case of journey from Delhi to Calcutta, the distance is 1,441 kms. and the time taken is one day and 10 hours.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do they travel by train?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Yes I travel by train. The incidental charges are Rs. 50.40 and if we calculate the D.A. it comes to Rs. 45. So there is a deduction of Rs. 5.40. In this way the D.A. will be lesser than the incidental charges and, therefore, there is no financial implication. As I have said in the beginning, it is a very simple Resolution and I have brought it because under the statute, under section 11(2) of the Ministers' Salaries and Allowances Act of 1952, it requires it to be placed before both the Houses of Parliament and adopted by both of them. I hope the Members will adopt it.

The question was proposed.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, this small mercy we can certainly do. But I want to make one or two observations. It will not be in a very great or serious way. He has given some figures. But, as far as I know—I have no objection to this kind of thing being passed; you will get it passed here; no difficulty—our Ministers hardly travel by trains. He says he does. That is very good. But rarely do I see them travelling by trains. Most of them, rather, all of them, travel by planes. How does it work out when travelling by plane? Two days become two hours. How does it work out then?. I do not know. That part you have not given. What will the incidental charges be when one, shall we say, travels from here to Madras by air? These are small things. But in the case of the Ministers and other public men occupying such positions, many such things are important. After all, in our Budget of thousands of crores of rupees this is just attracts public opinion and nothing nevertheless, sometimes this comment.

Recently, Sir, I was shocked to see that the Members of Parliament were trying to get their salaries increased, their wages increased, and I am glad that the Prime Minister has turned down their suggestion. They wanted to increase it to Rs. 2,000 or so and the daily allowance from Rs. 51—you would not get that thing, Sir—to Rs. 151 three times. I do not know. But it has been killed. Good thing.

But, as far as our Ministers are concerned, one or two observations I want to make since we have got a chance. We do not get the Ministers on that point; we get them on many other points.

Sir, it seems that some of them, for their residential purposes, never cease to be Ministers. When they cease to be Ministers, they live in the same houses with the same outfit, in the same way. This is a very demoralising example. If they cease to be Ministers, their duty should be, as soon as possible, in the prescribed time, to get out of that house and vacant it in the public interests. The standard should be set. I am not the sort of a person who would like to quarrel over such small matters. But this has become the talk of the town. I have known that the Ministers would never vacate their houses. When they are not Ministers, I do not know where they get the money from. Perhaps when they were Ministers their going was very good to compensate for the losses when they are out of office. Whatever it may be, the spectacle is not very edifying. This is one thing I should say.

Secondly, Sir, many of the Ministers do this. At the personal level I have nothing against them. Therefore, nobody should take it and I would be very much hurt myself if anybody took it to heart and thought that I was hurting any individual. But ostentatiousness is growing among some Ministers.

The other day I brought it to your notice—I could have brought the picture also had I known that you would come—that the Chief Minister of Andhra Pradesh uses the Mercedes Benz costing six lakhs of rupees. I am sure they never use it; I do not see such things here. You are the Deputy Chairman, Sir. You use a Hindustan car. All of us, most of us,

do so. I do not have a car. I have a party car which I occasionally use. They use a Hindustan car. Why is a foreign-made Mercedes Benz costing six lakhs of rupees required for the locomotion of Mr. Gundu Rao, the Chief Minister of Karnataka? I cannot understand.

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): It is because he is Gundu Rao.

SHRI BHUPESH GUPTA: No.

Sir, I find that many Ministers use the furniture at far above their scale. They have got a provision of Rs. 30,000 or so for the furniture, I am told. But some of them are not satisfied with that. I do not know whether they eat the furniture or not. But some of them have furniture worth lakhs. apart from the presents they get. These are not good.

Some Ministers' houses, if you enter, you would not know whether you have entered the house of a Sheikh of Arabia or that of a Minister of the Government of India. I remember, many people used to say that when one goes to Kuwait and other places in the Gulf States and enter such houses, one would be dazzled by the furniture. Here it happens. I think it is not very good because people go to them, and they get a very wrong impression about them.

Look at Mr. Makwana. He is like a Congress volunteer. I like him. It is a very good. But if he lives in a house so furnished—I am not saying he is living like that; far from it; I am not at all making an insinuation—then how would it look? This is why I say that this thing should be a little considered. This we ungrudingly sanction. It is a small thing. But I think there should be a code of conduct formulated for the Cabinet Ministers, Ministers of State and other Ministers as to how they should live because their private life, to some extent, touches our public life also. That is why it is very very important that they should live a simple life and they should set an example before the nation, if not of austerity, at least of simple living, and they should not take any extra advantage in many matters, as some of them do. Sir, as far as housing and other things are concerned, I have already said. I think he look into it. You go into this question and set things right. It will be good for the Government. Whether I am in the Opposition or in the Government, after all, it is the Government of our country. I would like our Government to project itself in such matters which are non-party matters in such a manner as would represent the best traditions of our country. We swear by Gandhiji. If I had my way, I would have hung a portrait of Mahatma Gandhi in every Minister's house with some of his utterances given below so that people who go there see what Gandhiji used to say about living and then judge how the Ministers are living. Sir, it would be a good thing. Therefore, this is all that I have to say. Thank you very much. I am sure Mr. Advani would like to say something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are many others. Mr. Dhabe.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, this resolution has been brought in pursuance of the provisions of the Act of 1952 for approval of the changes. in certain rates of daily allowance and incidental charges. The reason given is the Third Pay Commission. The recommendations of the Third Pay Commission are known to have come into force five or six years back. I do not know why such an amendment has been brought at such a late stage after such a long period.

Sir, there are two or three things which I would like to mention at this stage. It has been taken for gran-

[Shri S. W. Dhabe]

ted in our country that the Minister's position is not a place for service, as Mr. Bhupesh Gupta wants it to be, but a place for power and affluence. He rightly said about the expenditure on extension of bungalows, and on furnishing them. The telephone bills and other things there. So many items of expenditure are there. During the Janata Government, there was a rule that all Ministers should travel by first class in trains, and some Ministers used to travel by first class. I do not see nowadays any Minister travelling by first class. They travel by the air-conditioned class and the fare for it is much more than the plane fare. From Delhi to Bombay the charge for the air-conditioned class in the train is more than the plane charge. And I have yet to see a Minister travelling by first class or second class three-tier. The institution of Minister is being looked upon as a place of wealth and affluence. And the Minister's culture is called the five-star culture in many parts of the country. All meetings are held in five-star hotels. In Bombay, when they want to meet not only big businessmen but even ordinary men, they want to have the meeting in Taj Hotel. Big lunches are given there. God knows who pays all the bills.

SHRI BHUPESH GUPTA: God knows? You know.

SHRI S. W. DHABE: I do not know. I am asking the Minister. He might be knowing. Secondly, Government houses are used by Ministers for political purposes, for holding party meetings. Not only that. A large number of people are fed there and some contractors are required to pay the bills. Some of the Ministers do not pay the bills at all. Their bills have to be paid by somebody else. Therefore, it was suggested that when one becomes a Minister one must make a declaration of one's assets and again when one ceases to be a Minister, one must make a declaration of one's assets....

SHRI BHUPESH GUPTA: I must inform you when Mr. Mohan Dharia became a Minister, he sent for us, he sent for me and others, and make before us a complete statement of his assets.

SHRI S. W. DHABE: I know that. Therefore, if that practice is followed, people's confidence in the Ministers will be restored, that Ministers really are servants of the pubic and not what they are accused of being.

The Lokpal Bill was approved by the Joint Committee. It was meant for curbing corruption in high places, including the Prime Minister. I request that the Lokpal Bill should be reintroduced in Parliament and passed so that it will create confidence in the people that these institutions are above corruption, that corruption does not take place in these institutions.

Lastly, talking of austerity and other things, we have become a laughing stock nowadays. If really austerity is to be brought, austerity must start at the top, from the Prime Minister and Ministers downwards, the Government servants and then to the public. Therefore, great responsibility lies on the Prime Minister and other Ministers for making our democracy really successful; ministerial positions should set an example of austerity, it should appear that they are meant only for the service of the people. Ministers should set an example by actions not by precept; they should exhibit what an ideal way of austerity is. Our democracy is really eroded by a political system which is based on corruption. We want money from rich people for fighting elections. Therefore, when

personal obligations come, Ministers naturally cannot escape. They have to pay back to those persons from whom they had received money for fighting elections by way of licences etc. Therefore, in order to strengthen our democracy, it is very necessary that Ministers must set an example first; then alone can our democracy sustain. If it is to become self-reliant; there should be a self-reliant political system. Unless our poitical party system is improved. so far as financial matters are concerned, I think any number of these rules and regulations are not going to help us in any way. I would repeat therefore that what Mr. Mohan Dharia had done should be followed in practice by every Minister so that people come to repose confidence in the Government and Institutions of Ministers. The Ministers should abandon this five-star culture, they should abandon holding meetings and celebrations in Five Star hotels like the Taj Mahal or other big hotels. . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: There is another important thing. First they fix a political programme. Then they make a little official programme and go there on Government money and do all the propaganda... (*Interruptions by Shri Ramanand Yadav*).

SHRI S. W. DHABE: Mr. Ramanand Yadav is not a Minister. Why should be worried? I am only saying that Ministers of any political party should not use their tours for political purposes. First political meetings are settled. Then officers are asked to arrange some official function or the other, some foundation-stone laying, some official ceremony. And they go there on Government money and do their party propaganda. So this Act of 1952 should be revised suitably. There are many anomalies in the Act as it stands. I find there is a definition of family in the Act. It says that a particular privilege is available if there is only one wife; if there is a second wife, it will not be available. What do you conclude from it? Therefore, this 1952 Act should be thoroughly revised and improved. The Government must attach great importance to austerity in public life. Unless there is austerity in public life and personal life of Ministers and unless their assets are declared both at the time of assuming the office and at the time of relinquishing the office, I do not think these rules and regulations will improve the things. I have nothing more to add. I would request the Minister to consider all these aspects very seriously so that our democracy becomes a sustaining democracy. With these words I conclude.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभापति जी, मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री जी ने इसमें कोई फाइनसियली वृद्धि मिनिस्टर्स के हक में नहीं की है बल्कि जहां तक अर्थ का सवाल है उसमें मिनिस्टर्स को घाटा ही लगा है। इसलिये गवर्नमेंन्ट का यह स्टेप सराहनीय है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब मंत्री जी को अपने ऊपर कुछ पड़ता है तो जल्द से जल्द बिल ले जाते हैं लेकिन जब मैंम्बरों पर पड़ता है तो उस संबंध में कोई सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। उपसभापति महोदय, हम लोगों ने इस सदन के माध्यम से अनेकों बार टेलीफोन बिल के संबंध में चर्चा की है। हम लोगों पर फिक्टिशयस बिल आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाते हैं। घर बन्द रहा, आप चले गए और बिजली का बिल आपका चला आएगा। उसके लिए कोई क़ानून की जरूरत नहीं है, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं, कोई रूल्ज़ की जरुरत नहीं है। घर में फरनीचर हम लोगों को टूटा-

[श्री रामानन्द यादव]

फूटा, पुराना और रद्दी मिलता है। लेकिन जब रेंट लिया जाता है तो हम लोगों की सेलेरी से नये का काट लिया जाता है। पानी का टेक्स लगता है लेकिन पानी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आपने खुद सुना होगा कि मार्ग्रेट आल्वा जी को कितने हजार रुपये का टेलीफोन बिल आया है। उपसभापति महोदय, हालांकि मैंने टेलीफोन नहीं किया लेकिन हाल ही में मेरे पास भी तीन ट्रंक काल बिल्स आए हैं। तीनों में मैंने टेलीफोन नहीं किया। बिल में यह है कि मैंने टेलीफोन नम्बर, 23743, रांची में 14-11-79 को नंदकिशोर सिंह राठोर जो जनता पार्टी के थे उनको टेलीफोन किया, भला हमारा उनसे क्या लेना देना ?

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार) : जनता पार्टी वालों से गुफ्तगू कर रहे होंगे।

श्री रामानन्द यादव : दूसरा काल जो है वह कार्पुरी ठाकुर के नाम से दिखाया गया है और तीसरा काल जार्ज फर्नेन्डीज़ के नाम से और चौथा काल कपिलदेव सिंह के नाम से है जो जनता पार्टी, लोकदल के रिजीम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो मैं इन लोगों को क्यों टेलीफोन करने जाऊं लेकिन यह बिल मेरे ऊपर आए हैं। यह चारों आदमी रांची के एड्रेस में दिखाए गए हैं कि हमने उनको रांची में टेलीफोन किया है। जार्ज फर्नेन्डीज तो पटना में या दिल्ली में यहां रहते हैं . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) यह तो हमारे मित्र रामानन्द जो टेलीफोन मिनिस्टर को सुना चुके हैं।

श्री रामानन्द यादव : आप जरा बुद्धि को ठीक कीजिए (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : संक्षेप में कहने दीजिए, नहीं तो और बढ़ेगा।

श्री रामानन्द यादव : आप हाऊस के मैम्बर होंगे तभी जाकर मिनिस्टर होंगे। मंत्री जी, अपने मंत्रियों के संबंध में कोई डिफिकल्टी आए तो बिल ले आए हैं लेकिन हमारी डिफिकल्टीज़ के संबंध में बिल लाने की कोई बात नहीं सोची जाती है। इस पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें जो परेशानी होती है उस पर कुछ नहीं होता। मैं यह कह रहा था कि कपिल देव सिंह, कार्पुरी ठाकुर रांची में नहीं रहते, ? पटना में रहते हैं। जार्ज फर्नेन्डीज़ दिल्ली में रहते हैं। राठोर, दरभंगा में रहते हैं। वे लोकदल के सदस्य है, ला जी जानते हैं। रांची में उनके यहां मैंने फोन क्यों किया, इसके संबंध में आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको अपने लोकल काल के टेलीफोन बिल के बारे में बताता हूं। मेरे पास तीन बिल आए है। आप इसको सुन कर ताज्जुब करेंगे कि लोकल काल्ज़ का बिल 21-8-79 से 20-11-79 तक का 331-50 पैसे का है। आप पीरियड देखिये कान खोल कर सुनिये। फिर 21-11-79 से लेकर 20-2-80 तक 432/-रु० का है। जस्ट इमेजिन दी पीरियड, कितने दिन का है? एक तीसरा काल है 31-2-80 से 31-3-80 तक का 265.20 रुपये का। इसी सदन में हमारे कम्यूनिकेशन मिनिस्टर ने हम लोगों से वादा किया था कि वे सीरियसली सोच रहे हैं कि एक बिल इसको रेगुलराईज करने के लिए लायेंगे और हम लोगों की . . .

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) : सुख सुविधाये बढ़ायेंगे।

श्री रामानन्द यादव : सुख सुविधायें नहीं बढ़ायेंगे, वे देखेंगे कि हम लोगों को गलत काल नहीं लगाते हैं। उपसभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके संबंध में

बिल लाना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़े लेकिन जो एक्जिस्टिंग सुविधायें हैं उनमें सुधार किया जाय। हमसे बागवानी के लिए 15 रुपये काटे जाते हैं लेकिन बागवानी क्या होती है। यह हम प्रति दिन देखते हैं कि जो बाऊंड्री थी वह भी खत्म, न किसी के यहां फूल हैं न हम कुछ लगाते हैं। जैसे मैं एक पपीते का पेड़ अंदमान से लाया था, मैंने हार्टीकल्चर विभाग को टेलीफोन किया कि पपीते को वक्यूला लगा है, यह एक तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से पत्ते सूख जाते हैं फल नहीं देता है। लेकिन वहां से कोई नहीं आया। इन्क्वायरी में इसी तरह से फर्नीचर के लिए फोन करते हैं तो वहां से टाइमली नहीं आयेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़े, नहीं बढ़े लेकिन साथ-साथ यह बात आप सोचें कि जो हम लोगों को एक्जिस्टिंग सुविधायें हैं उनमें सुधार किया जाय। जो हमको मिलता है वह ठीक से मिल जाय। जो हमें मेंटल टार्चर होता है। अभी बिजली का बिल, दो महीने घर बन्द था तो भी बढ़ा कर आ गया। आप सुन कर ताज्जुब करेंगे एक महीने का मेरे यहां का बिल 184 का आया है। इसी तरह से पानी का भी बिल आ जाता है। जब हम लोग टेलीफोन वालों से कहते हैं तो टेलीफोन वाले कहते हैं कि पहले पेमेंट कर दीजिए उसके बाद कम्पलेंट कर दीजिए तब हम देखेंगे। तो यह दिक्कतें हैं। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि जो सुविधायें हैं जिनके लिए हमसे पैसा काटा जाता है, पैसा ले लिया जाता है उन सुविधाओं में सुधार होना चाहिए और इस संबंध में भी कोई कार्यवाही होनी चाहिए। जहां तक टेलीफोन का बिल है इसमें हम लोगों को बहुत मेंटल टार्चर होता है। बहुत मेंटल टार्चर होता है। मैं तो ठहरा एक साधारण आदमी, टेलीफोन करता नहीं हूं। मेरे बगल मे यह चाबी है, टेलीफोन का भी इसी में है इसको मैं लेकर आता हूं ताकि कोई करने न पाये तथा मैं एक रजिस्टर रखता हूं...

(Interruptions)

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : जनता से डर कर भाग कर चाबी ले जाते हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA: You have got a communications Minister who went to Calcutta to set right the telephones there. But he did exactly the opposite thing. He delivered a lecture on Marxism.

श्री रामानन्द यादव : मैं उस पर आता हूं। उपसभापति जी, यह सब मेंटल टार्चर होता है। यह दुःख दूर होना चाहिए। एक बात और कहनी है। भूपेश बाबू बहुत बात करते हैं कि मिनिस्टर सरकारी खर्चे पर जाते हैं कलकत्ता में और वे वहां पर पालिटिक्स करते हैं। मैं भूपेश जी से कहता हूं कि जब केरल में पहले दफे उनकी गवर्नमेंट थी तो क्या आपके मंत्रिगण इस देश के कोने-कोने में जाकर पार्टी का आर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के पैसे पर जाकर नहीं करते थे...

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not saying that. You did not hear me. I never said that he should not. When he went to Calcutta on Government expense for setting right the telephones there, he told the people of Calcutta: "If you are not satisfied with the telephones, return them to the Telephone Department.". Well, I know it. My dear friend, why don't you listen to me a little? He went there and delivered a lecture against Marxism. Why on Government money should this be done? Why on AICC(I) money or funds he could not be sent there? That is the point?

श्री रामानन्द यादव : मुझको कहने दीजिए। अतः उपसभापति महोदय, इनके भी मंत्री चाहते थे वे जाते थे, पार्टियों की मीटिंग करते थे, जनता पार्टी के लोग जाते थे तो पार्टियों की मीटिंग करते थे। हम लोगों के खिलाफ उकसाते थे। धावे जी ने कहा था कि ये उकसाते थे हम लोगों के खिलाफ और षडयंत्र करते थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाय, जब जनता पार्टी की सरकार थी। इसको एवाइड नहीं किया जा सकता है। एक मंत्री है वह जायेगा ही।

श्री उपसभापति : समाप्त करिये।

श्री रामानन्द यादव : अच्छा तो यह होगा, मुझको याद है मुहम्मद साहब की एक कहानी। मुहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया अपना बच्चा लेकर गयी। मुहम्मद साहब ने कहा कि तुम चले जाओ आज, पांच दिन के बाद आना। उन्हों खुद मीठा खाना छोड़ दिया और पांच दिन के बाद जब बुढ़िया अपने बेटे के साथ पहुंची तो मुहम्मद साहब ने कहा कि ए लड़के तुम मीठा न खाओ। तीन दफा जब कहा, तो बुढ़िया ने कहा कि यदि यही कहना था, तो उसी दिन ही क्यों नहीं कह दिया तो पहले तो यह सोचना चाहिए How they are using the machinery in Bengal and Calcutta. किस तरह से केरल में और बंगाल में यह मशीनरी को यूज़ करते हैं, अपने विरोधी लोगों को सताने के लिये सारी मशीनरी को यूज़ करते हैं, सरकारी खजाने को यूज़ करते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दादा यहां कांग्रेस के लोगों को ही गाली दे देंगे, यह बात इन्होंने नहीं सोची है, कम से कम यह बात भी तो सोचनी चाहिए कि आप क्या करते हैं ? पहले अपने को डिज़िस्ट किया जाए, तब लैक्चर दिया जाए ताकि दूसरों पर असर हो सके। हम लोग भी देखते हैं कि जब हम कमेटी में जाते हैं, तो बैठते और ठहरते कहां हैं, खाते कहां हैं ? धावे साहब आपकी स्पीच जब अच्छा-अच्छा भोजन मिलता है, तो गायब हो जाती है और जब यहां आते हैं, तो भाषण देना शुरू करते हैं। तो, अच्छा होगा कि पहले हम अपने को संभालें, and let us then talk about the Ministers हमारा ख्याल है कि हमारे जो मंत्रिगण हैं, अच्छे हैं, ठीक से काम करते हैं। लेकिन एक बात इनसे जरूर चाहूंगा कि जरा यह समय पर ठीक से काम करें, ब्यूरोक्रेसी के फेर में नहीं रहें और जो कुछ ब्यूरोक्रेसी लिख देती है, उसी को लाकर पिटा-पिटाया क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, अपने भी अध्ययन करें, मेहनत करें मनन करें, दफतर में रहें, सुविधा उनके लिए हम देने के लिए तैयार हैं।

एक मिनिस्टर को यदि सारी सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छी तरह से वह लिखने-पढ़ने, बात करने का टैक्ट करने को नहीं मिलेगा, तो राष्ट्र की और देश की सेवा नहीं कर सकेगा। मैं सुविधा देने के पक्ष में हूं, हटाने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन साथ ही यह भी सोचता हूं कि जिस मुस्तैदी से सरकार ने मंत्री जी की असुविधा को दूर करने के लिए बिल लाया है, जरा जो हमारी असुविधाएं हैं—हम मेम्बरान की—उन्हें भी दूर करने की कोशिश करें, तो यह सराहनीय है, श्रद्धा के पात्र हैं और कोई भी बिल आप लायेंगे, हम दोनों तरफ के लोग पास कराने की कोशिश करेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): उपसभापति जी, मंत्री महोदय ने बड़े भोलेपन से कहा कि इस विधेयक में कुछ अनौमली थी रूल्स में मिनिस्टर के सैलरी और एलाउंसेज में, उसको दूर करने के लिए है। इसमें कुछ खर्चा नहीं होगा सरकार की तरफ से। इसी लिए बहुत इन्नाकुअस प्रस्ताव है, यह इन्होंने बहुत भोलेपन से कहा कि इस पर कोई आर्गुमेंट और बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने

रजोल्यूशन में ही बाद में यह कहते हैं कि Replacement of incidentals and daily allowance will also result in some economy. मायने कुछ फिजूलखर्ची जो कहीं-कहीं है, उसमें रुकावट होगी और कुछ पैसे की बचत भी होगी। खर्चा नहीं होगा। लेकिन पैसे की बचत होगी।

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और इसकी वे सफाई करें कि अब तक इस नियम के मुताबिक जो इंसिडेंटल लेते थे मंत्री महोदय चाहे जनता सरकार वाले हों या आप की सरकार के—मैं यह नहीं कहता—उसका कुछ ब्यौरा देंगे मंत्री वाइज कि इंसिडेंटल में इन्होंने इतना उठाया इतने समय में छः महीने में या एक साल में इतना उठाया, यह जो डेली एलाउंस में लेते थे, इतना ही होता ताकि नक्शा हमें साफ हो जाता कि इंसिडेंटल से फलां मिनिस्टर ने इतना पैसा जमा कर लिया और फलां मिनिस्टर को इतना ही मिला, यह आपने नहीं बताया। इस तरह से साफ है कि जो भी इकानमी आप करेंगे, मंत्रियों के लंबे-चौड़े का जो खर्चा है, वह कम नहीं होने का।

अभी जो रामानन्द यादव जी ने कहा कि आपने तो अपने लिये सोच लिया, अपने लिए तो बिल ले आए, लेकिन सदस्यों के लिए कुछ नहीं होगा, बहुत दम है उनकी बातों में। शनिवार की शाम को मेरे यहां बल्ब फ्यूज कर गया था। उसकी खबर इंक्वायरी में दी, लेकिन दो दिन के बाद भी बल्ब नहीं आया। तीन बार रिमाइंडर दिया, जब एक बार मैंने डपट कर कहा कि भई, बल्ब नहीं है तो कुछ बहाना करके कहने लगा कि हम टेस्ट के लिए बल्ब लाए हैं वह लगा दिए हैं। ऐसे ही सफाई के लिए भी कोई नहीं आता है। साधारण से काम के लिए रिमाइंडर देना पड़ता है। बहुत थोड़ी सुविधाएं समय पर मिलती हैं। लेकिन मंत्री लोगों के लिए तो सुविधाएं राइट एण्ड लेफ्ट होती हैं। मुझे याद है कि बहुत साफ शब्दों में, बहुत खुले दिल में, जिसे कहते लाइटर वेन में बाजपेयी जी ने मावलंकर हाल में कहा था—जापान वाले आए थे, उनके स्वागत में एक मीटिंग थी वहां उन्होंने कहा था—कि भई, क्या कहते हो, हम चलते हैं तो गाड़ी का फाटक खुल जाता है, बैठ जाते हैं तो फाटक बन्द हो जाता है, दोनों तरफ से हमको सलामी दी जाती है, थोड़ा सा इशारा करते हैं तो जान जाते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता है, अपने ही बदन को ढो कर ले जाना पड़ता है, मानो सब काम आटोमेटिक मशीन से हो जाते हैं। अब हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ऐसे वातावरण में। उन्होंने साफ तौर से कहा, यह जो हमारा तौर-तरीका है, दिमाग खराब करने का और बहकने का तरीका है, हम लोग जो इससे बचे हुए हैं तो मुश्किल से बचे हुए हैं। तो ये सब जो सुविधाओं का जाल है, तनख्वाह का जाल है, यह सब बहुत ज्यादा है। इसलिए अच्छा होता यह रिजोल्यूशन जो आप लाए हैं संसद् सदस्यों के बारे में वह इस तरह से अधूरा नहीं होता।

उपसभापति महोदय, चाहे संसद् सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, सवाल यह है कि यह जो इनकम नीति है, आमदनी की नीति है इस देश में, उस सारी नीति को रिव्यू करने की जरूरत है। इस बुनियादी बात को यह सरकार पकड़ती नहीं है, हमेशा बंगलिंग करती है—थोड़ी चिप्पी यहां लगा दी, थोड़ी चिप्पी उधर लगा दी, कहीं ईधर से पंक्चर होता है कहीं उधर से पंक्चर हो जाता है, इस प्रकार इस सरकार की पालिसीइज इन मैस। इस बात को हम बार बार कहते आए हैं और बराबर कहते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आमदनी की नीति में बुनियादी परिवर्तन यह सरकार नहीं लाती है, हल्ला करने से हो, आंदोलन से हो, प्रदर्शन से हो, हर तरह से करते रहेंगे ताकि देश में जो आमदनी का

[श्री शिव चन्द्र झा]

तफर्का है वह सही जगह पर हो—चाहे आप मंत्री हों या हम संसद् सदस्य हों या हमारे राष्ट्रपति हों, दूसरे हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या सड़क का आदमी हो या मजदूर हो। 30–35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं यह कोई भीषण की सेंटिमेंट की बात नहीं है। यह रिएलिटी है। गरीब के लिए बड़े-बड़े नारे देते हैं, यह दलितों के लिए, शोषितों के लिए मात्र एक हमदर्दी है लेकिन इस एक बुनियादी परिवर्तन की ओर आप नहीं जाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक नेशनल इनकम पालिसी आप बनाइए।

श्री उपसभापति : आप समाप्त करिए।

श्री शिव चन्द्र झा : वह कैसे बनाए, इसको कहने की जरूरत नहीं है कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है। मैं तो कहता हूं किसी और नेता को न मानें आप, मैं कहूंगा कि सिर्फ एक ही नेता पंडित जवाहर लाल को आप मानें। उन को इन टोटो फालो करें। इससे बहुत कल्याण हो जाएगा। यदि और किताबों की ओर नहीं जाते हैं तो थर्ड फाइव इयर प्लान में जो इन्ट्रोडक्शन है, बस उतना ही—चाहे गीता समझें, गुटका समझें—सारा एक सारांश कहिए सोशियो इकानामिक पालिसी का, उसके मुताबिक आप काम करें तो मिनिमम और मेक्सिमम में 1 और 10 के अनुपात में आमदनी की हदबन्दी करनी होगी। चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हों या हमारे संसद सदस्य हों, यह फार्मूला अगर आप लगा देते हैं तो जितने आपके चक्कर हैं उन सबों पर आप रोक लगा देंगे। तो इनकम की जो बुनियादी नीति है उसको सरकार पकड़ती नहीं है। यह सबथ्रोइंग डस्ट इनटु द आइज है, आंखो में धूल झोंकने की बात है। एक बात धारिया साहब ने कही। मंत्रियों की सुविधा के बारे में इनकांसिस्टेंसी को आप हटा रहे हैं, एनोमोली को हटा रहे हैं। इसी सन्दर्भ में क्या आप अपने मंत्रियों की एसेट्स का चार्ट देंगे? जनता सरकार में यह बात उठी थी कि सब मंत्री अपनी एसेट्स का लेखा-जोखा दें। कुछ दिया भी गया।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : किसी ने नहीं दिया।

श्री मनुभाई पटेल (गुजरात) : धारिया ने दिया था, कई लोगों ने दिया था।

श्री कल्प नाथ राय : उपसभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आदरणीय शिव चन्द्र झा जी ने जो बात कही वह बहुत अच्छी है। जनता सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी एसेट्स की जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उस सरकार ने ऐसा नहीं किया।

श्री शिव चन्द्र झा : सब को देना चाहिए था। यदि नहीं दिया या एक ही दो ने दिया तो वह हमारी त्रुटि थी। यह हम लोगों को करना था। यदि उन्होंने नहीं किया तो आप को तो करना चाहिए था। सारी एसेट्स मंत्रियों की मन्थ-वाइज़ सामने आये तो साफ हो जायगा—इस एनोमली के हटने से कोई फर्क नहीं होता है—वरना शक होता है कि दाल में कुछ काला है, मंत्री महोदय अपनी पाकेट को गरम करने के लिए रिजोल्यूशन लाये हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डिपुटी चेयरमैन साहब, जो नियमों मे संशोधन का प्रस्ताव मंत्री जी लाये हैं यह बहुत पहले आना चाहिए था। हम लोग नहीं सोच पाते कि यह एनोमली कैसे चल रही थी और दिल्ली

सरकार के अफसर और मंत्रियों के पास जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं वे नियमों के विरुद्ध कैसे काम कर रहे थे। जब नियम यह था कि उन पर वही रूल लागू होगा जो फर्स्ट ग्रेड के आफीसर पर लागू होता है और फर्स्ट ग्रेड के आफीसर के बारे में नियम तब्दील हो गया, उस नियम के तब्दील हो जाने के बाद फिर कैसे इन्सीडेन्टल्स ड्रा कर रहे थे, यह आश्चर्य की बात है। इस स्तर पर नियमों की अवहेलना कर के मंत्रियों के टी० ए०, डी० ए० के बिल बनते और पास होते रहे हैं, यह हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात है और दुःख की भी।

श्रीमन्, जहां तक इस प्रस्ताव में व्यवस्था है 30 रुपए प्रति दिन भत्ते की, हम चाहेंगे कि उसे 50 रुपए प्रति दिन कर दिया जाय। अगर अपने पास से मंत्री खर्च कर के दो वक्त खाना खायें, सुबह नाश्ता करें और शाम को चाय पियें तो यह 30 रुपये में नहीं हो सकता।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) करते ही नहीं हैं, यह साबित हो गया।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : 30 रुपए बहुत कम हैं। हम बड़ी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि अगर मंत्रियों को सच मुच ईमानदारी का जीवन बिताना है ...

श्री कल्पनाथ राय : एम० पीज० के बारे में बोलिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आऊंगा वह पर भी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? तो डिपुटी चेयरमैन साहब, मैं निवेदन करूंगा कि 30 रुपए बहुत ही कम हैं। 50 रुपए से कम होना ही नहीं चाहिए। 50 रुपये में हमारे मंत्री मकवाणा साहब और केदार पांडे जैसे अपना गुजर कर सकते हैं। दूसरे मंत्री जो हैं उनके तो 50 रुपये रोज उनके कपड़ों पर खर्च हो जाते हैं। ये लोग किस तरह गुजारा कर सकते हैं 50 रुपये में। मैं यह चाहूंगा कि मंत्रियों का अपना वेतन भी रिवाइज हो। इनको अधिक वेतन दिया जाए लेकिन उन्हें इस बात के लिये प्रेरित किया जाए कि ये मंत्री मिल मालिकों के हाथों दावत न खायें। अधिकांश केसेज में मैं जानता हूं कि जो मंत्री बाहर दौरे पर जाते हैं उनकी पाकेट से एक पैसा भी खर्च नहीं होता। उसके भोजन का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, सारा इंतजाम उसके सेक्रेटरी और पी० ए० पहले से ही कर लेते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पीने का भी।

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सभी नहीं पीते हैं। थोड़े से लोग पीते हैं। सब पर आरोप न लगायें।

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : पानी तो सभी पीते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारा टाइम देखते रहिये। जो हमारा टाइम खराब हो रहा है वह काउंट न करें।

मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे एक मित्र थे उत्तर प्रदेश में। 1952 की बात है। वह गोरखपुर गये। उनका प्रोग्राम दो दिन का था मगर पांच दिन रूक गये। सारे कार्यकर्ताओं से उनका संबंध था। डाक बंगले में वह ठहरे हुए थे। नाश्ते के समय 40–50 आदमी इकट्ठे हो जाते थे। भोजन के वक्त 10–15 आदमी इकट्ठे हो जाते। जो वहां सरकारी अफसर रहते थे उन सब के लिये भी व्यवस्था होती थी। मजबूरी में इंतजाम करना पड़ता था पचास आदमियों का। नाश्ते में सभी के

[श्री नागेश्वश प्रसाद शाही]

लिये बिस्कुट और टोस्ट वगैरह का इंतजाम होता था। पांच दिन के बाद मंत्री जी यह कह कर चले गये अपने सेक्रेटरी को कि बिल देख लेना, पेमैंट हो जाएगी। सेक्रेटरी ने कह दिया तहसीलदार को जो डाक बंगले में ड्यूटी पर था कि बिल भेज देना। किस की हिम्मत होगी कि मंत्री के खाने का बिल गोरखपुर से लखनऊ भेजे। यह हिमाकत कोई नहीं कर सकेगा। अगर वह हिमाकत करेगा तो क्या वह वहां रह सकेगा। उसका तबादला गोरखपुर से गढ़वाल हो जाएगा। मैं यह कह रहा हूं और आप भी इस बात को जानते होंगे कि यह पैसा तहसीलदार भी नहीं देता है। हमारे सूबे में यह नियम है कि डाक बंगले का जो खर्चा है या उसका जो इंजताम करने का काम है वह तहसीलदार का है। तहसीलदार को यह पैसा कानूनगो इकट्ठा करके देता है। कानूनगो भी यह पैसा अपने पास से नहीं देता है। जिस दिन लेखपाल को तनख्वाह मिलती है उस दिन वह सबसे पैसा इकट्ठा कर लेता है और लेखपाल केवल अपने सैलेरी बिल पर साइन करता है। नाज़िर जो है वह सब पैसा इकट्ठा कर लेता है और वह सब पैसा तहसीलदार के पास पहुंचा जाता है। यह पैसा खर्च होता है जो डाक बंगले में रहने आते हैं—चाहे रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हों, होम सेक्रेटरी हों, स्टेट लैवल के अफसर हों, मंत्री हों—जो भी डाक बंगले में ठहरता है उनके खाने-पीने की सारी व्यवस्था वह करता है। वह रुपया आता है लेखपाल की पे से। लेखपाल क्या करता है यह आप जानते होंगे। वह आपकी खेती पर हमारा नाम लिख कर हम से पांच सौ रुपया इकट्ठा कर लेता है। वह अपनी तनख्वाह भी ड्रा नहीं करता है।

श्री उपसभापति : यह होता रहा है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं यह कह रहा हूं कि यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। इससे कुछ दुर्गन्ध निकलती है। मैं यह चाहता हूं कि मिनिस्टर को इतना वेतन, इतना भत्ता मिलना चाहिये कि उनका पी० ए० या सेक्रेटरी जो हो वह उनके ठहरने, खाने का समुचित इंतजाम कर सके। एक दूसरा उदाहरण देता हूं जिसकी ओर मैं मकवाणा साहब और केदार पांडे जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह भी गोरखपुर से संबंधित है। एक मंत्री वहां गये। उनका रात का खाना वहां के एक शातिर क्रिमिनल के यहां हुआ। वह एक ऐसा क्रिमिनल था

4 P.M. जिसने सैकड़ों मर्डर किये थे और सैकड़ों डकैतियां डाली थीं। यह हो सकता है कि इस बारे में मंत्री महोदय को बताया न गया हो क्योंकि एक एम० एल० सी० साहब उनको वहां ले गये थे। सभी लोग उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन डी० एस० पी० और एस० डी० ओ० ने वहां जाने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं जा सकते हैं। वे लोग गेट पर ही खड़े रहे। उस क्रिमिनल के यहां खाने के बाद जब चीफ मिनिस्टर को इस बात की जानकारी हुई और उन्होंने इस संबंध में मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि हम तो एम० एल० सी० के यहां खाने के लिए गये थे। यह हो सकता है कि कोई भी मिनिस्टर यह चाहेगा कि वह किसी क्रिमिनल के यहां खाना खाने न जाये, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर ऐसी जगह जाता है तो इसका क्या असर होगा? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मुझे अपने प्रधान मंत्री के बंगले पर एक दो बार जाने का मौका मिला। उनके बंगले पर कोई खास सजावट नहीं है जैसी कि दूसरे कुछ मिनिस्टरों के बंगलों पर दिखाई देती हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या आपने सब कमरे देखें हैं? प्रधान मंत्री के दफ्तर

के कमरों और बाहर के कमरों को देख कर आप आ गये होंगे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उनके सोने वाले कमरों को देखने तो आप गये होंगे । लेकिन जैसे आम कमरे होते हैं, ड्राइंग रूम होता है, बाहर के कमरे होते हैं, उनमें कोई खास सजावट नहीं है । उनको मैंने देखा है । वे बहुत सिम्पल हैं । हमने स्टेट मिनिस्टरों और डिप्टी मिनिस्टरों के कमरे भी देखें हैं । सी० पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों से अगर कोई एम० पी० कहता है कि ये चीज हमारे कमरे में लगा दो तो वे कहते हैं कि हमारे स्टाक में यह चीज नहीं है । जब हाउसिंग कमेटी बैठेगी और उस आइटम को पास करेगी तो मिल जाएगा । लेकिन अगर कोई मिनिस्टर के यहां से टेलीफोन हुआ, चाहे वह चपरासी ने ही क्यों न किया हो, तुरन्त सामान लेकर आदमी पहुंच जाता है ताकि मिनिस्टर साहब खुश रहें । मेरा कहना यह है कि यह जो लेविशनैस और एक्स्ट्रावेगेन्स है और जो एट दी कास्ट आफ मिनिस्टर होती है इसको एवोइड किया जाना चाहिए ।

श्रीमन्, एक दो चीज और हैं जिनके विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा । इस बिल में कहा गया है कि मंत्री जी के साथ उनके रिजर्व कम्पार्टमेन्ट में दो परसनल सर्वेन्ट्स भी होंगे । यह जो रूल 9 एमेन्ड हो रहा है इसमें दो परसनल सर्वेन्ट्स की बात कही गई है । हमारे मित्र श्री मकवाणा जी पुराने सोशलिस्ट हैं । ये परसनल सर्वेन्ट लेकर नहीं चलते हैं लेकिन जो परसनल सर्वेन्ट रखते हैं उनके लिए एक परसनल सर्वेन्ट काफी होना चाहिए ।

SHRI BHUPESH GUPTA: One servant is for making him lose his commonsense. Another servant is to help him regain his commonsense.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाह : डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारा निवेदन यह है कि वे जब इस बिल को पायलेट कर रहे हैं तो मैं उनके सामने लन्दन का भी एक उदाहरण रखना चाहता हूं । मैं एक बार लन्दन गया था तो मैंने देखा कि पार्लियामेन्ट हाउस से प्राइम मिनिस्टर निकल रहे हैं । वे अपनी कार के पास गये और अपनी कार खुद ही चला कर ले गये । ऐसी हालत में मैं श्री मकवाणा जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दो परसनल सर्वेन्ट्स की क्या जरूरत है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : अगर रेलगाड़ी बन्द हो जाएगी तो कैसे चलेंगे ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : रेलगाड़ी बन्द नहीं होती है । जनता सरकार के मिनिस्टरों की यह हिम्मत नहीं थी । जनता सरकार के मंत्रियों ने अगर यह किया था तो वे चले गये । आप वह गलती मत कीजिये जो जनता सरकार के मंत्रियों ने की । लेकिन अगर वह गलती करनी है तो कर लें ।

एक माननीय सदस्य : आपकी परम्परा चल रही थी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हम कहते हैं कि आप उससे भिन्न चलें । मैं इधर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए ।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र): परम्परा का जिक्र आपने किया, बम्बई में हाजी मस्तान, युसुफ पटेल आजकल बहुत जोरों में हैं ।

श्री उपसभापति : कृपया समाप्त कीजिये . . . (*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा टाइम खराब मत कीजिये ।

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

मंत्री जी को जो कलकुलेशन करके भेजा गया है ईच एण्ड एवरी केस में, रूल्स में जो डी० ए० मिलेगा वह इससे कम होगा, यह सही नहीं है। आपके सेक्रेटरी ने सही एकाउंटिंग नहीं की। इसलिये कि अगर आपका जरनी स्टे टू डेज हो गया है, और वह शार्ट स्पेन है, तो आप दो दिन के डेली अलाउन्स के इन्टाइटिल्ड हो जायेंगे। डिपार्चर टाइम एण्ड आफ दि डे हो और अराइवल अर्ली इन दि मार्निंग हो तो दो दिन के डेली एलाउन्स के आप इन्टाइटल्ड हो जायेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : कैसे ?

श्री उपसभापति : इतने ब्यौरे में मत जाइये। आप अपनी बात को कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप 11 बजे यहां से रवाना होते हैं तब भी उस दिन के डी० ए० के आप इन्टाइटेल्ड हो जायेंगे और 1 बजे वहां पहुंच जाये तो उस दिन के डी० ए० के इन्टाइटेल्ड हो जायेंगे। 12 बजे से यह हो जाता है। मेरी भी यह राय है कि ऐसा होना चाहिये। लेकिन यह सही कलकुलेशन नहीं है। मैं श्रीमन्, यह कहता हूं कि एम० पीज० के लिए जो रूल्स हैं उनमें यह है कि अगर आप 12 बजे बाद पहुंचेंगे तो आपको हाफ डी० ए० मिलेगा और अगर आप 12 बजे के पहले दिल्ली छोड़ते हैं तो आपको हाफ डी० ए० मिलेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि जब मंत्रियों के लिये यह हो रहा है तो इस ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो एम० पीज० हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। आपको तो फोर वर्थ केबिन रिजर्व होती है। उस फोर वर्थ केबिन में आपकी पत्नी भी हो सकती है, दूसरी महिलायें भी हो सकती है। लेकिन श्रीमन, . . (*Interruptions*)

श्री मदन मोहन मिश्र : आपका इशारा किधर है ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा इशारा उधर नहीं है।

श्री मदन मोहन मिश्र : आपका इशारा उधर है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा इशारा है कि मंत्री अपने फ्रेन्ड्स को ले जा सकते हैं, लेकिन एम० पी०, श्रीमन्, आप जानते हैं, उसके लिये यह बात संभव नहीं क्योंकि हम लोगों के सामने रोज सवाल पेश होते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब सभी सूबों के एम० एल० एज० अपने स्पाउस को अपने साथ आल ओवर इण्डिया ले जा सकते हैं। सारे सूबों के एम० एल० एज० इसके लिये इन्टाइटल्ड हैं। भूपेश गुप्त जी को जरूरत है नहीं।

SHRI BHUPESH GUPTA: May I ask one question? Sir, I want to ask him whether his spouse would like to travel with him.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: That is why I say कि श्री भूपेश गुप्ता को जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके साथ है उनके साथ यह कठिनाई है। उन्हें ऐतराज यह होता है कि आप तो फर्स्ट क्लास में जायेंगे और हमको स्लीपर में बिठा देंगे। आज रेल भाड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं जाना हो तो अब यह संभव नहीं है कि अपने साथ के आदमी को अपने साथ ले जा सके। इसलिये जब आप अपने साथ दो-दो पर्सनल अटेन्डेंट फर्स्ट क्लास में ले जा सकते हैं तो इस संदर्भ में एम० पी० के स्पाउस को भी क्या आप वह सुविधा देने

को तैयार हैं जो एम० एल० एज० को आलरेडी हैं। इतनी सुविधाएं स्टेट्स के एम० एल० एज० को हैं। इसके साथ साथ स्टेट्स के एम० एल० एज० को फ्री बिजली, फ्री वाटर की सुविधा है इसका अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है। हम लोगों के विषय में तो यह है कि हमारे सेलेरी से काट दिया जाता है। टेलीफोन का बिल हमारी सेलेरी से काट लिया जाता है। तो मैं यह चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी जिन्होंने मंत्रियों की सेलेरी और भत्तों में तो संशोधन करने की इजाजत दी वे इनके साथ-साथ एम० पीज० के सेलेरी और भत्तों के बारे में इन दो मुद्दों पर विचार करें कि एक तो सपाऊज पास भी होना चाहिए जैसे कि स्टेट्स के एम० एल० एज० को सुविधा है और दूसरा पानी और बिजली की फ्री सुविधा होनी चाहिए।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : उपसभापति महोदय, जो प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव के विषय में चाहे यह मंत्रियों से संबंधित है परन्तु माननीय सदस्यों के विषय में भी अभी कुछ विचार प्रकट किए गए, यह बात सही है कि दोनों के विषय में एक रेशनल व्यू लेना चाहिए। जो उचित बातें हैं वे करनी चाहियें। परन्तु इस संकल्प के विषय में माननीय मकवाणा साहब ने जो कहा मैं समझता हूं कि वह धोखा देने की बात है। उन्होंने दिल्ली से कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली, मद्रास का उदाहरण देकर बताया कि मद्रास जाने में 16.65 पैसे की कमी हो जाएगी, यहां से बम्बई जाने से 18.65 पैसे और कलकत्ता जाने में 5.40 पैसे की कमी हो जाएगी अगर यह कमी की बात है तो जहां पर कम समय लगेगा उसका आंकड़ा उन्होंने कुछ नहीं दिया। यह जो उन्होंने दिल्ली से अगल-बगल के गांव में, शहरों में जाने की जरुरत पड़ी तो उसका कोई उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया। इस तरह से समूचे साल भर में यह जो नये नियम लागू होंगे इन नियमों के लागू होने से कितने रुपये का बजट है जिस तरह से कमी का एग्जेम्पल दिया यह नहीं बताया। मैं बिलकुल निश्चित मत का हूं कि यह हजारों, लाखों रुपये अधिक खर्च होगा। यह जो संकल्प रखा गया है, इसके मानने से हमारे मित्र झा जी ने बहुत सही कहा कि इससे खर्च बढ़ेगा लेकिन इसके आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किये। इस बार का बजट जो आया है उस बजट के अन्दर भी जहां पिछले साल का खर्च एक करोड़ 21 लाख काऊंसिल आफ मिनिस्टर्ज के लिए था वह इस साल में एक करोड़ 36 लाख रुपये का बजट रखा गया गया है। 15 लाख रुपये ज्यादा रखे गए हैं। यह सब इस बात का द्योतक है कि इससे और भी खर्च बढ़ने वाला है। खर्च में कमी होने वाली नहीं है।

दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि रुल 9 में उन्होंने लिखा है —

"Travel in a reserved compartment".
A Minister when travelling in a reserved compartment on requisition shall be entitled without payment to accommodation for two personal servants and to draw daily allowance in accordance with the provisions of rule 17."

अब यह जो दो पर्सनल सर्वेंट जाएंगें यह भी इसमें नहीं लिखा कि वे किस क्लास में जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। सिर्फ जगह के विषय में लिखा गया है। रूल 17 के मुताबिक जबकि पहले सिर्फ सेलून में जाने के लिए यह व्यवस्था थी लेकिन इस समय जो व्यवस्था की गई है उसके विषय में मैं जानना चाहूंगा इस बात का क्लेरीफिकेशन किया जाए।

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त]

मैं यह भी कहना चाहता हू कि जहां तक मंत्रियों का सवाल है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने बहुत सही कहा उनको बहुत तरह की सुविधाएं है, मकान का किराया नहीं लगता, बिजली और पानी का पैसा नहीं लगता, गार्डनर का पैसा नहीं लगता इन बहुत सारी सुविधाओं के बाद यह खर्च यहां तक आता है कि एक मंत्री के ऊपर 30 हजार रुपये महीना खर्च होता है। उसके वेतन के अलावा 30 हजार रुपये महीने का खर्च आता है। आज जब कि देश के अन्दर 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग पावर्टी लाईन के नीचे है, जहां एक व्यक्ति मुश्किल से एक रुपया प्रतिदिन कमाता है वहां पर जिस समय कल यह समाचार छपेगा समाचार पत्रों में कि :

"The Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1980, has been approved by the Upper House also."

जनता बगैर नीचे पढ़े हुए समझेगी कि निश्चित पूर्वक मंत्रियों ने फिर कुछ बढ़ाया है। वह यही समझेगी कि अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ रूपया इन्होंने बढ़ाया है। घटाने का सवाल कोई जनता नहीं सोच सकती है। आज बहुत ही सही प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि पार्लियामेंट के सदस्यों का वेतन बढ़ाना या सुविधायें बढ़ाना इस समय उचित नहीं है क्योंकि इस समय देश के अन्दर मंहगाई बढ़ी हुई है। परन्तु आज मंत्रियों के विषय में यह संकल्प इस समय के लिए उचित नहीं है। आज मंत्रियों की जो हालत है हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया, बहुत बात हुई और क्या कहा जाय लेकिन इस समय हालत यह है कि अब एक मंत्री अपने बेटे को प्राईवेट सेक्रेटरी रखता है, पी० ए० रखता है कोई बेटी को रखता है, कोई दामाद को रखता है कोई दूसरे मंत्री के बेटे या दामाद को रखता है। आज ये सारी बातें अपने यहां हो रहीं है ... (*Interruptions*) नहीं ये है ... (*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : कौन है ?

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : पूछ लीजियेगा मकवाणा साहब से कि कौन है। आप चाहतें है कि इस हाउस में हम नाम कहे। मैं नाम नहीं कहना चाहता हू. मैं आपके कहने से नाम कहूंगा भी नहीं, आप भी जानते होंगे। हो सकता है आप उसके विषय में कहलवाना चाहते हों, उनकी इमेज गिराने के लिए। लेकिन यह बात नहीं सही है। तो आज बेटे बेटी या दामाद को इस तरह से रखना-मकवाणा साहब यह जरूर कहेंगे कि साहब किसी मंत्री का बेटा हो गया तो क्या बड़ा पापी बन गया जो मंत्री के घर में जन्म लिया, क्या वह नौकरी नहीं कर सकता है ईमानदारी से। यह कहेंगे, लेकिन यह गलत बात होगी। यह जो आप परम्परा डाल रहे हैं पक्षपात की, क्योंकि एक तो आज हिन्दुस्तान में पालिटीशियन का एक क्लास बनता जा रहा है, वर्ग बनता जा रहा है फिर उसके बाद एक पारिवारिक वर्ग बन जाये, एक दूसरे की एक दूसरे को सुविधा देकर और देश का एक्सप्लायटेशन हो जाय, जनता का विश्वास खो दें, अगर डेमोक्रेसी में हम विश्वास खो देते हैं तो यह देश की बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस तरह से यह प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा जैसे रामानन्द जी ने कहा श्रीमन्, टेलीफोन के विषय में। सन् 1978 में मैंने एक टेलीफोन के मिस्त्री से कहा कि टेलीफोन का तार बहुत छोटा है उसमें थोड़ा बड़ा तार लगा दो उसने 2, 3, 4 यार्ड का तार लगा दिया। अभी जब मैं घर में गया एक सप्ताह पहले तो एक

बिल मेरे यहां पड़ा हुआ है कि यह जो चार यार्ड आपके यहां तार लगा उसका 78 में पांच रुपया किराया, 79 का 30 रुपये किराया और 80 का 30 रुपये किराया यानी 65 रुपये का बिल आया है। उपसभापति महोदय, मुश्किल से जिसका दाम 8–10 रुपये हो सकता है उसका 65 रुपये का बिल किराये का, यार्ड का आया है। अब इस तरह से सारी बातें हो रही हैं। मेरा यह ख्याल है कि सरकार को मंत्री महोदय को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, यह नहीं कि इन सारी बातों को लायें और बार बार लायें तभी किया जाय। एक बार लायें उस पर ध्यान न जाय, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(The Vice-Chairman (Shri Dinesh Goswami) in the Chair.)

SHRI A. P. JANARDHANAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, we do not grudge rectifying this anomaly or even paying more for the Ministers, but we will all urge them to give attention to the priorities. In a country teeming with poverty, where empty bellies and full cradles are the rule, they should first devote their attention to providing basic amenities. Water, food, cloth, shelter, security—these are the crying needs of this sub-continent. Let the Ministers concentrate on the dynamics of nation building than on a few political party purposes. At least for the duration of the tenure of their Ministries let them rise above narrow party grooves, and only when they rise above them can they become a statesman-class. It is excellent to possess a giant spirit, but it is tyrannous to use it like a giant. They have to be fair, more than fair, to the Opposition. Democracy is a costly form of Government and we *have to bear the cost*. We *bear the* cost because democracy is preferable to the authoritarian form of Government. I urge the Ministers to think of the next generation and not of the next elections. I urge upon the Ministers to just suppress the idea of pocketing the whole of India for the Indira Congress. Let them be away from that temptation. I know *the temptation will be very strong*. I know of Ministers who think they can bring down Governments, who think they can dismiss Governments. But they have learnt a bitter lesson in Tamil Nadu. They may think that by talking of throwing the Government into the Bay of Bengal, at least hurling threats like that and by encouraging this and that, they can bring discredit to other Governments and make them unpopular and all that but that is dynamiting the federal structure. Let them remember that by these things they are simply tossing themselves into the waste-paper-basket of history. An elected Government has to be removed at the polls and not on the streets. If the Ministers remember all these things, if they trust the common people, if they become the champions of the under-dogs, I do not grudge any amount of money being paid to them. We also cry for raising our salaries, because Bhupesh Gupta is wedded to the Rajya Sabha, he has no spouse, he has no children. There are poor MPs like us. I am a very simple M.P. I find it hard to maintain two establishments, one at Madras and the other here for our secretarial requirements and other things. Keep us above board, above temptation. Otherwise, with Aya Rams and Gaya Rams and all sorts of dirty things, nothing can be done. Everybody should be kept at a decent level. Then alone will democracy work. Let the Ministers remember all these things. I beseech them. I know the shining examples of very good Minis-

[Shri A. P. Janardhanam]

ters. I can name Mr. Madhu Dandavate of the Janata Party.

SHRI KALYAN ROY: Makwana is not bad.

SHRI A. P. JANARDHANAM: He is not bad. I reciprocate your compliments. Achyuta Menon of Kerala and EMS Namboodiripad used to take tiffin-carrier meals. I know of the shining examples of Ministers who are very devoted men. They are there in each party. There are creators and professionals in every party. Even after thirty years of our freedom, we have not shed the ostentatious ways. Sometimes a Minister is very good, but his wife, his son or his daughter or his daughter-in-law do the mischief and they bring tragedy to him. Well I know of many instances. I cannot adumbrate all those things. But I can show the shining examples of our statesmen. The late Anna refused to live in a house especially built for him when he became a very sad victim of cancer. And MGR earned millions somewhere else, but now he is sticking to his inostentatious living with Rs. 1000. I have great pride in adumberating the names of excellent Ministers. They are there in every party. They are fine people. This country has wasted much time. Let us put ourselves to nation-building. Look at China. In 1949, they were nowhere. In 2000 A. D. they will be a Super Power. Look at Japan and Germany. They were in a shambles, but now they are risen. We are going backward and backward. We go back to the ox-cart age. When will we go to the jet age? Let the Ministers get what they want, but let them keep the common men in view" and set priorities for them.

Thank you.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I am sorry that certain points raised by the hon. Members were quite irrelevant, and I do not know whether they deserve some replies to be given or not. (*Interruptions*). I think they have not understood what the resolution is and what the rules governing the salaries and allowances of the Ministers are. I have made it clear in my introductory speech. When I spoke first, I gave all the details. I gave the calculation of the different journeys, and that also have not been taken into consideration or have not been studied by the hon. Members. Also, it is most unfortunate that many points which I have replied to in the Lok Sabha and which the hon. Members have read in the newspapers, have been reiterated here without ryhme or reason.

SHRI MANUBHAI PATEL: All the points are not published in the news papers.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: They are all published in the newspapers. (*Interruptions*). Even then and if they are not there, I will reply.

The hon. Member, Shri Bhupesh Gupta, raised the question about the incidental charges of the journeys undertaken by air. Sir, I gave three examples of the rail journey. Again I will give three examples of the air journey. From Delhi to Madras it takes 2 hours and 35 minutes, and the incidental charges at the rate of one-fifth of the air-fare limited to the maximum of Rs. 10 only, will be Rs. 3.15 p, instead of Rs. 10. Rs. 10 was the maximum; But now it will become Rs. 3.15 p. Delhi to Bombay, 1 hour and 40 minutes. There also it is Rs. 10. It will come to Rs. 2.10 P; And Delhi to Calcutta, 2 hours. There also it is Rs. 10. It will come to Rs. 2.50 P. So, in the case of the air journey as well as in the case of the rail journey it will come to a lesser amount.

Sir, Mr. Dhabe spoke on certain things, particularly about the misuse of the Government house. I do not know which Minister has misused the Government house. Certainly, the Ministers use the houses where they live. It is a Government house. But what is the misuse? I do not understand. All the Ministers are politicians. So, in their houses political activity will be done. Whether it is a misuse, I do not know. But I do remember the former hon. Prime Minister of the country misusing the Gujarat Vidyapeeth, of which Prof. Parikh is...

PROF. RAMLAL PARIKH (Gujarat): He is the Chancellor of the University. (*Interruptions*) Do not make a reference without facts. (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: All his political activity started from the Gujarat Vidyapeeth (*Interruptions*).

PROF. RAMLAL PARIKH: I have an objection. Sir, on a point of clarification. (*Interruptions*).

SHRI MANUBHAI PATEL: It is an educational institution. He was the Chancellor. (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, it gets grants from the Government, and it was totally the Government money that was being used. (*Interruptions*).

PROF. RAMLAL PARIKH: Give me half a minute. (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: And the hon. Members of the same party... (*Interruptions*).

SHRI MANUBHAI PATEL: It is politically motivate. (*Interruptions*). Is this the Minister speaking? Is this the Home Minister of the country speaking, going to this level? (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I fail to understand which houses of the Government the Ministers are misusing. On the contrary, his leader, Mr. Moraji Desai misused his position. It was taken up in this House, and a resolution was passed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Makwana, just a minute. Prof. Parikh, are you raising a point of order? Mr. Makwana, he is raising a point of order.

PROF. RAMLAL PARIKH: Here the question is of the Ministers making use of their houses. The question is nowhere related to the University. It was not at all relevant to this. Sir, it should have been stopped forthwith by the Chair because the question was totally unrelated, irrelevant, malicious and motivated. Therefore, Sir, the point is very clear. He has raised the point. I never expected Mr. Makwana to do this at least. But when he has raised the point, he must know that Mr. Morarji Desai, the former Prime Minister, has been Chancellor of the Vidyapeeth for two decades and he is entitled to stay in the Vidyapeeth. And when he stays in the Vidyapeeth, guest house, it is for him to determine what activities to do or not to do. (*Interruptions*). When anybody stays in a circuit house, when anybody stays in the Raj Bhavan, do you tell him what activities he should do and what he should not do? You do not prohibit one's personal activities in a guest house. (*Interruptions*). I am sorry this question has been raised and I strongly protest against this kind of malicious political motivation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): So far as the point of order is concerned, if an hon. Member raises a matter which is irrelevant, the Minister has a right to reply to it. I cannot rule it out as irrelevant. On the other question, the Minister made certain allegations

[Shri Dinesh Goswami]

and Mr. Parikh, rising on a point of order, has replied to them. Both of them are there on the record. So I would request the Minister to leave it at that. (*Interruptions*). Both will remain on the record; your version is there and his version is there. I have permitted both versions to go on the record.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Thank you, Sir. I never meant to malign anybody. Because the hon. Member was irresponsible in speaking and many allegations were made against the Ministers, therefore, I could not restrain myself and I had to place the facts on record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Makwana, that is an occupational hazard which you shall have to face. Therefore, bear with it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: May I remind those who were talking about austerity whether this austerity was maintained by their Ministers? Of course, the austerity standard which is prescribed by the Government is maintained by the present Ministers. Nobody has exceeded it. But in the Janata Ministry, what was the position? Mr. Fernandes and Mr. Rajnarain were quarrelling for a bigger house, and they did not occupy the houses which were allotted to them because they wanted a bigger house. For furniture also there was a quarrel. Now, the same people are advising us, and that, too, on what account? (*Interruptions*).

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, Mr. Dhabe raised a question about the five-star hotel culture. The hon. Minister should react to it and say what this culture is. Mr. Dhabe raised a question regarding the five-star hotel culture. What is that?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Not only he, but there are many other Members who said about austerity. Therefore. I referred to it. Shri Nageshwar Prasad Shahi...

SHRI KALPNATH RAI: On a point of order. Sir, they have said that the Janata Government Ministers had submitted their assets and liabilities to the Government. Is it a fact?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): There is no point of order.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, the hon. Member, Shri Nageshwar Prasad Shahi raised many issues. He said about the criterion of two servants. Sir, this criterion of two servants came from the Governor-General's Council. Previously a member of the Executive Council of the Governor-General was entitled to 10 servants under supplementary rule 9. Now the rules were made applicable to the Ministers after independence, and the number of servants was reduced from 10 to 2. But, Sir, these two servants are taken when they are travelling by a saloon. If they are travelling in a saloon, there will be no extra expenditure. In other cases it is linked with rule 8(2). The facility for carrying two personal servants is given only when a Minister travels in a saloon or an extension carriage under rule 8(2) or in a reserved compartment by requisition under rule 9(1), which does not involve extra expenditure, because in any case there is more than one berth and the servant whom they carry will occupy the other berth which is extra.

SHRI MANUBHAI PATEL: Where is the saloon... (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: No saloon is there, but this is there in the rules.

SHRI MANUBHAI PATEL: No Minister travels in a saloon. (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: This is under the rules. When there is a saloon or reserved compartment or anything, then they are entitled to carry with them two servants and one of them is always a Class IV servant. That is, Class IV servants. So far as I remember I have never taken any servant with me. And I do not think any other Minister has ever carried a servant with him because his PA who accompanies him looks after everything; he carries almost all the files and everything. So nobody is taken. Then the honourable Member raised the question of electricity and water charges. A Minister is allowed only up to Rs. 200/-. Over and above this limit of Rs. 200/- the Minister concerned has to pay the bill himself. Shri Gupta said that Rs. 30000 are incurred on each Minister every month...

SHRI BHUPESH GUPTA: No, I didn't say that.

SHRI YOGENDRA MAKAWANA: Not you, it is Mr. Ram Lakhan Gupta. He said that Rs. 30000 are spent on a Minister in a month. I do not understand how he calculated that figure. I will be happy if he comes to me and shows me his calculations so that I can advise the Minisers to reduce it...

SHRI MANUBHAI PATEL: How will a Cabinet Minister accept the advice of a Minister of State?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Then he said sons, daughters and sons-in-law of Ministers are employed as PAs. The same thing was said in the other House. I explained there that those who are educated, those who are qualified may be employed somewhere under legal provisions, by legal means. But what about the illegal means which Mr. Kanti Desai committed and on which a Resolution in this House...

SHRI MANUBHAI PATEL: Mr. Vice-Chairman, it will not be proper to discuss about somebody who is not able to answer here. Suppose, when the Minister goes to this level, somebody makes an irresponsible charge about Mr. Rajiv Gandhi or the late Mr. Sanjay Gandhi, what will be the shape of discussion here? Does that invite all this allegation? Is it proper on his part?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Makwana, you are entitled to give your reply in the way you like and unless it comes within the purview of Parliamentary rules and regulations I cannot help it. But I think this is a subject in which much heat should not be generated. I would request you to avoid topics where heat is generated and particularly this is a subject which the House had discussed at length on earlier occasions...

SHRI MANUBHAI PATEL: Mr. Rajiv Gandhi has retained the house used by the late Mr. Sanjay Gandhi whereas Mr. Kanti Desai and Mr. Morarji Desai have already left Delhi, not to talk of a Government house. Do you want a discussion on this?

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: On a point of order, Sir. If one honourable Member goes astray and makes certain irrelevant charges, is it fair that a Minister also is allowed to go astray and equally make such wild charges which are not permitted? I want your ruling on this, whether a Minister also will be permitted to do the same.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The ruling is very simple...

SHRI BHUPESH GUPTA: Before you give your ruling, please let me say one thing. When I spoke—generally I am a serious person—I

[Shri Bhupesh Gupta]

thought this Resolution was indeed a comic Resolution, it is a caricature of all this and I thought we should speak in a comic way. But now I find it has developed into a great tragedy. I hoped we could make fun of it; either side we could make fun of it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Bhupesh Gupta, one thing appears from the discussion, that you are the best person to become a Minister because in that case there will be no allegations. Now I would request the honourable Minister to avoid all controversies and let us finish this subject as quickly as possible.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I never meant it, as has been rightly pointed out by the honourable Shri Bhupesh Gupta. Because they referred to it, I had to refer to it; otherwise, I was not going to refer to it. In the beginning I had already said this was a very simple Resolution. It seeks to regularise and approve rules which are framed and placed before the House. As I said, rule 9(2) in particular and rules 10, 13, 17, 24 and 25 which are of similar nature are sought to be approved by this Resolution. As I said in the beginning, there is no financial implication; on the contrary, I gave examples of different journeys undertaken from Delhi to different cities. The amount will be much less than the actual incidental charge at the rate of 35 naya paise.

So, Sir, this Resolution is very simple and I hope it will be passed and approved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"This House approves the draft Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1980 framed under sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952) and laid on the Table of the Rajya Sabha on 19-6-1980."

The motion was adopted.

THE INTER-STATE WAETR DISPUTES (AMENDMENT) Bill, 1980.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let us now take up the Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill, 1980. I ask for the co-operation of the Members. I have before me 8 speakers. If each speaker can limit his speech to ten minutes, we will be able to finish this on time.

The Minister.

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDE): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill was passed by the Lok Sabha on 12-6-1980 and is now before this House. I would like to state a few words with regard to this Bill, particularly its aims and objects.

The Narmada Water Disputes Tribunal was constituted in the year 1969 under section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956, for adjudication of the water disputes relating to the river Narmada and the river valley thereof between the States, of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan. This was done in October, 1969. The Tribunal gave its report in August 1978. As provided under the Act, the Central Government and the party State Governments made further references to the Tribunal. After considering these references, the Tribunal forwarded its further report to the Central Government on the 7th December, 1979...

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : (बिहार) आप इसके पहले हिन्दी में बोलते थे, इसलिये हिन्दी में ही बोलियें ।

श्री केदार पांडे : अभी मैं इसको पढ़ रहा हूं बाद में हिन्दी में ही बोलूंगा ।